

# झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद

संख्या.....06.....



वर्ष 2023.....

विविधवाद / प्रथम अपील

बनाम

अपीलकर्ता श्री जितपाहन महतो,  
उता०+पो०+धाना-कैरो,  
लोहरदगा ।  
प्रतिवादी DSO, लोहरदगा ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	<p style="text-align: center;"><u>वाद सं०-०६/२०२३</u></p> <p>परिवादी श्री जीतवाहन महतो, ग्राम+पो०+था०-कैरो, जिला-लोहरदगा का परिवार पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। प्राप्त परिवार पत्रों में परिवादी द्वारा PDS वितरक अन्सार स्वयं सहायता समूह के संचालको के विरुद्ध निम्न आरोप लगाये गये हैं:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) लाभुकों को डरा-धमका कर 3-4 कि०ग्रा० अनाज कटौती करना एवं अनाज की कालाबाजारी करना।</li> <li>2) राशन दुकान संचालिका के परिवार में अवैध रूप से एक ही परिवार में कुल 5 राशन कार्ड रखते हुए राशन का उठाव किये जाने का भी आरोप लगाया गया है।</li> <li>3) इसके अतिरिक्त उक्त परिवार के व्यक्तियों द्वारा 5-6 हजार रू० लेकर अवैध तरीके से राशन कार्ड बनाने का भी आरोप लगाया गया है।</li> <li>4) यह भी कि उक्त के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में विभिन्न कार्यालयों में आवेदन दिया गया था किन्तु अबतक दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई।</li> </ol> <p>उक्त मामले में आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक-22.03.2023 को निर्धारित की जाती है।</p> <p>प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लोहरदगा को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।</p> <p>दिनांक-22.03.2023 को अपराहन 12:00 बजे रखें।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">   <b>(शबनम परवीन)</b>  सदस्य,  झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,  राँची। </div> <div style="text-align: center;">   <b>(हिमांशु शेखर चौधरी)</b>  अध्यक्ष,  झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,  राँची। </div> </div>	